सत्यमेव जयते

कुलाधिपति

Chancellor

वर्धमान महावीर खुला

..............................विश्वविद्यालय

..............................University

राज भवन, जयपुर – 302006

Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.25(5)आरबी / 2015 / 3067

दिनांक : 12 अप्रैल, 2019

आदेश

प्रो. अशोक शर्मा को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.25(5)आरबी / 2015 / 2706 दिनांक 11.04.2016 द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित 2013) की धारा 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश की पालना में प्रो. शर्मा द्वारा दिनांक 14.04.2016 को मध्याह्न पूर्व कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रो. शर्मा की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 13.04.2019 को पूर्ण होने जा रही है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित 2017) की धारा 8(3) के अन्तर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित 2017) की धारा 8(9) व 8(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ. भारत सिंह, कुलपति, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0

(कल्याण सिंह)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

DS/Govt./Uni./VMOU/VC app./Order

क्रमांक : एफ.25(5)आरबी / 2015 / 3068

दिनांक : 12 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. अशोक शर्मा, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
5. डॉ. भारत सिंह, कुलपति, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
6. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

DS/Govt./Uni./VMOU/VC app./Order